रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ ज्येष्ठ 15, 1937
No. 213]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून 2015

फा. सं. 4/15015/30/2011.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबेलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषध प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा ।

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के सबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबेलिंग) संशोधन विनियम, 2015 है ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबेलिंग) विनियम, 2011 में,--

(क) 'लेबल लगाना' से संबंधित विनियम 2.2 के 'पूर्व पैक किए गए खाद्यों पर लेबल लगाना' से संबंधित उपविनियम 2.2.2 में,--

(i) 'संघटकों की सूची' से संबंधित खंड 2 में पहली अनुसूची के अधीन सारणी में 'खाद्य वनस्पति तेल/खाद्य वनस्पति वसा' प्रविष्टि के लिए 'वर्गों' शीर्ष के अधीन और 'वर्ग नाम' शीर्ष के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

वर्गों	वर्ग शीर्ष
"खाद्य वनस्पति तेल/खाद्य वनस्पति वसा या दोनों हाइड्रोजनीकृत या आंशिक हाइड्रोजनीकृत तेल	खाद्य तेल के स्रोत, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल आदि का नाम दें।
खाद्य वनस्पति वसा	वनस्पति वसा, इंटरस्ट्रीफाइड वनस्पति वसा, हाइड्रोजनीकृत तेल, आंशिक हाइड्रोजनीकृत तेल, खाद्य वनस्पति वसा, मारगरीन और वसा प्रसारी जैसे मिश्रित वसा प्रसारी, वनस्पति वसा प्रसारी" ;

(ii) 'पोषण जानकारी से संबंधित खंड 3 के उपखंड (v) के मद (iii) और मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(iii) खाद्य तेल, इंटरस्ट्रीफाइड वनस्पति वसा, दोनों हाइड्रोजनीकृत या आंशिक हाइड्रोजनीकृत तेल, खाद्य वसा, मारगरीन और वसा प्रसारी (मिश्रित वसा प्रसारी और खाद्य वसा प्रसारी) का प्रत्येक पैकेज तथा खाद्य का पैकेज, जिसमें वसा, तेल और वसा का पायस एक घटक के रूप में उपयोग किया गया है, लेबल पर अंतर वसा अंतर्विष्ट और संतृप्त वसा मात्रा का परिमाण घोषित करेगा।"

(ख) विनियम 2.4 में, 'खाद्य और वसा पर लेबल लगाना' से संबंधित उपविनियम 2.4.2, खंड 4 के उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(102)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा किए गए:

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013।

(ii) फा. सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013।

(iii) फा. सं. 1-83 एल/ एस सी आई- पी ए एन- अधि./ एफ एस एस ए आई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

F. No 4/15015/30/2011.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with previous approval of Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

The objections or suggestions duly supported by scientific evidence, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla road, New Delhi. 110002.

Any objections or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulation within the period specified above shall be considered by authority;

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2015.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011,-

(a) in regulation 2.2 relating to 'Labelling',in sub-regulation 2.2.2 relating to'Labelling of Pre-packaged Foods'-

(i) in clause 2 relating to 'List of Ingredients', in the Table under the first proviso, under the heading 'classes' for the entry 'Edible vegetable oils/Edible vegetable fat' and the corresponding entry under the heading 'Class Titles', the following shall be substituted, namely:-

Classes	Class Titles
"Edible vegetable oil/Edible vegetable fat or both hydrogenated or partially hydrogenated oil	Give name of the source of the edible oil such as mustard oil, groundnut oil, etc.
Edible vegetable fat	Give type of vegetable fat (interesterified vegetable fat, hydrogenated oils, partially hydrogenated oils, edible vegetable fats, margarine and fat spreads, such as mixed fat spreads, vegetable fat spreads";

(ii) in clause 3 relating to 'Nutritional information', in sub-clause (v), for items (iii) and (iv),the following item shall be substituted, namely,-

"(iii) Every package of edible oils, interesterified vegetable fat, both hydrogenated or partially hydrogenated oils, edible fats, margarine and fat spreads (mixed fat spread and vegetable fat spread) and package of food in which fats, oils and fat emulsions is used as an ingredient shall declare the quantity of trans fat content and saturated fat content on the label."

(b) in regulation 2.4, sub regulation 2.4.2 relating to 'Labelling of edible oils and fats', in clause 4, sub-clause (c) shall be omitted.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15(102)]

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F.No: 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.

(ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.

(iii) F.No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012 dated 17th February, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.